

के. वि. चौदरि  
K.V. CHOWDARY



केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त  
केन्द्रीय सतर्कता आयोग  
Central Vigilance Commissioner  
Central Vigilance Commission

सन्देश

हिन्दी दिवस (14 सितम्बर) के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

सितम्बर 14, 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था । भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ तथा तभी से संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में दिनांक 14 सितम्बर से हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है इस दौरान हिन्दी में मूल टिप्पण एवं पत्राचार पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग किया जाए। संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है । मैं आशा करता हूँ कि आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी संवैधानिक दायित्वां को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

हमारी राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा व प्रोत्साहन है । हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्ठा और उत्साह से काम करना चाहिए । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभायेंगे।

के. वि. चौदरि

(के.वि. चौदरि)

नई दिल्ली  
दिनांक : 14 सितम्बर, 2017